संख्या-20 /2024/ 792(1) /001-792 58 1 2024

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-आई०सी०डी०एस०-सामान्य (के0-60%/रा0-40%-के०) के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस०एन०ए० में अन्तरण एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-आई०सी०डी०एस०-सामान्य के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस०एन०ए० में अन्तरण में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-2203/बा0वि0परि0/लेखा/2023-24, दिनांक 30 मार्च, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-आई०सी०डी०एस०-सामान्य (के0-60%/रा0-40%-के०) के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस०एन० ए० में अन्तरण में रू0 3615.52 लाख एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-आई०सी०डी०एस०-सामान्य के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस०एन०ए० में अन्तरण में रू0 2410.34 लाख, कुल रू० 6025.86 लाख (रु० साठ करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार मात्र) धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने एवं आंकड़ों की शुद्धता को जांचने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(4) प्रश्नगत धनराशि को योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 खाते में स्थानान्तरित कर उपभोग किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(7) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(10) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(11) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइडलाइन्स के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 36,15,52,000 (रुपये छत्तीस करोड़ पंद्रह लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2235027890102 आई.सी.डी.एस.-सामान्य (के.60/र.40-के.) **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण (*2*) रुपये 24,10,34,000 (रुपये चौबीस करोड़ दस लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2235027898902 आई.सी.डी.एस.-सामान्य **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2024/ 792(2)/001-792 58 1 2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in